

राजस्थान अधविकृता कल्याण नधि(संशोधन) वधियक, 2020 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

21 सतिंबर, 2022 को राजस्थान वधानसभा ने राजस्थान अधविकृता कल्याण नधि(संशोधन) वधियक, 2020 को ध्वनमित से पारति कर दया। शकिषा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने वधियक को सदन में प्रस्तुत कया था।

प्रमुख बदि

- शकिषा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने वधियक पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में कहा कबिर काउंसलि ऑफ राजस्थान के साथ वचिर-वमिर्श के बाद ही वधियक में संशोधन कयि गए हैं। बार काउंसलि ने अगस्त, 2021 में सरकार को पत्र में जो भी सुझाव दयि थे, वे इस वधियक में शामिल कयि गए हैं।
- उन्होंने कहा ही काउंसलि के ही सुझाव पर 5 से 50 वर्ष तक वकालत का कार्य करने के बाद अधविकृताओं को राशदिने का वधियक में प्रावधान कयि गया है। यह राशएक्स-ग्रेसया नहीं, अपति अधविकृताओं की सेवाओं का प्रतफल है।
- डॉ. कल्ला ने बताया की वधियक में वकालत पर 100 रुपए के स्टाम्प का प्रावधान कयि है। सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय या जेडीए सहति सभी कोर्ट में यह समान रूप से लागू होगा। यह संशोधन भी काउंसलि के सुझाव पर ही शामिल कयि गया है।